ग्राम पंचायत तुरकड़ा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2022 से 03/2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत तुरकड़ा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पचांयत तुरकड़ा में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती अंजू देवी	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री अशोक कुमार	01-04-2022 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत तुरकड़ा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही खनन सामग्री का अनियमित क्रय/ भुगतान करने बारे।	8.1	6.85
02.	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	8.2	0.11
03.	निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।	8.3	20.60
04.	15वें वित्तायोग से मोबाईल फ़ोन, LED टीवी इत्यादि के क्रय पर अनियमित व्यय करने बारे।	9.1	0.63
05.	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय बारे।	9.2	7.25
06.	बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के स्टोर/स्टॉक का अनियमित क्रय व भुगतान बारे।	9.3	13.40
07.	बिना संयुक्त हस्ताक्षर किये गए अनियमित भुगतान बारे।	9.4	13.40

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत तुरकड़ा का अंकेक्षण, अवधि 04/2013 से 03/2016 तक किया गया था जिसमें सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/02 दिनांक 26-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, गता अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई उपरान्त विभाग को सूचित कर दिया जायेगा । प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है प्रतिवेदन में शामिल अनिर्णीत पैरों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये। वर्तमान अंकेक्षण में केवल पैरा संख्या 4.1 व 13 को ही पुन: प्रारूपित किया गया अन्य पैरों का समायोजन विभाग द्वारा जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में पैरे निपटाने हेतु विशेष कैंप में पैरों पर की गई कार्रवाई को रिपोर्ट से लेकर शामिल किया

गया तदोपरान्त निर्णीत पैरों की स्थिति सहित अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट अन्य लम्बित पैरों की स्थिति निम्न वर्णित है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क जमा करवा दिया गया है।
2.	4.1 (क,ख)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	4.2 से 4.5	निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है।
4.	5	निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है।
5.	6	निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है।
6.	7	अनिर्णीत	-
7.	8	अनिर्णीत	-
8.	9	अनिर्णीत	-
9.	10	अनिर्णीत	-
10.	11	निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है।
11.	12	निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है।
12.	13	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत तुरकड़ा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा

दिनांक 26-09-2024 से 01-10-2024 तक ग्राम पंचायत तुरकड़ा के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	04/2022	05/2022
2.	2023-2024	03/2024	12/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत तुरकड़ा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4000/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/11 दिनांक 01-10-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत तुरकड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 **(अ) स्वः-स्त्रोत व अनुदान** ग्राम पंचायत तुरकड़ा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

1. स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	524464.00	122835.00	647299.00	83466.00	563833.00
2023-24	563833.00	143138.00	706971.00	544025.00	162946.00

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	1697096.30	7038443.00	8735539.30	7096325.00	1639214.30
2023-24	1639214.30	5236619.00	6875833.30	5574756.00	1301077.30

कुल योग (1+2) **₹ 162946.00+ ₹1301077.30 = ₹1464023.30**

(ब) ग्राम पचांयत तुरकड़ा, का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण

क्र०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15th FC	50100356417277	HDFC Dalhousie	**862438.30**
2.	Village Water & Sanition Committe	18010124538	HPSCB Chuwari	**0.00**
3.	Bio Diversity Management Commitee	18010119733	HPSCB Chuwari	**71472.00**
4.	General SDP/ VKVNY Relief/ICDS	18010105555	HPSCB Chuwari	**553212.00**
5.	5th SFC	18010122237	HPSCB Chuwari	**127408.00**
6.	Own Source	18010122235	HPSCB Chuwari	**54199.00**
			Cash In hand	**0.00**
			TOTAL	**₹1668729.30**

अन्तर (ब-अ) ₹1668729.30 - ₹1464023.30 = ₹204706.00

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹2.04 लाख का अन्तर।

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत तुरकड़ा, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹204706.00 का अन्तर रोकड़बही में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4.1 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 30-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.2 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹13 लाख का अवरोधन।

पंचायत द्वारा परिशिष्ट 1 व 2 पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹1301077.30 की राशि (रोकड़वही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता

सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 30-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.43 लाख की वसूली न करने बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत तुरकड़ा के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न ₹42845 राशि वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय-वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल प्राप्त राशि	बकाया राशि
2022-23	32350	407	50	20350	52700	29935	22765
2023-24	22765	425	50	21250	44015	1170	42845

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 01-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है । अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना:-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

(क) वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना :-

अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा संलग्न परिशिष्ट "7" के अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹3850/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

(ख) विवाह पंजीकरण उपरान्त अपेक्षित शुल्क की वसूली न करना :-

पंचायत अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण उपरान्त अपेक्षित शुल्क की वसूली नहीं की गई तथा कुछ मामलों में कम या बिलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई जिस कारण सरकार को विवाह पंजीकरण शुल्क

के तौर पर राशि ₹400 की वित्तीय हानि जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "7" में दिया गया है सम्बंधित सचिव की लापरवाही के कारण हुई है।

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-10 दिनांक 01-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा। अत: उपरोक्त राशि ₹4250(3850+400) की वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 आपूर्तिकर्ताओं/वेंडरों से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही राशि ₹6.85 लाख की खनन सामग्री का अनियमित क्रय/भुगतान करने बारे।

हि० प्र० माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियमों एवं निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास के पत्र संख्या--General/2023-DB-(RD&PR)-XEN 30-34307-2023/204192/1 दिनांक 20-11-2023 द्वारा माननीय हाई कोर्ट के आदेशों CWP No. 868 of 2023 के अनुसार किसी कांट्रेक्टर/वेंडर से खनन सामग्री की आपूर्ति/क्रय करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वैध ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) उपलब्ध करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

परन्तु ग्राम पंचायत तुरकड़ा, के अभिलेखों के चयनित माहों के अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि, पंचायत द्वारा वेंडरों/ठेकेदारों से बिना W,X-फॉर्म प्राप्त किये ही राशि ₹684974 (संलग्न परिशिष्ट "4" के अनुसार) की खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि का क्रय किया तथा उक्त राशि का अनियमित भुगतान सम्बन्धित वेंडरों को किया गया जिससे उक्त आदेशों/नियमों की पूर्णत: अवहेलना की गई है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 30-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा कि, पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान W,X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही किया गया लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

उक्त प्रकरण में पंचायत द्वारा सरकारी आदेशों/नियमों की अवहेलना अनियमित क्रय व भुगतान किया गया है जोकि आपत्तिजनक है यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.11 लाख की वित्तीय हानि बारे।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C,I) के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत तुरकड़ा के अभिलेखों के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संलग्न परिशिष्ट "5" के अनुसार राशि ₹549795/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जिससे आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना हुई जिसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व के तौर पर राशि ₹10995.90/- (2%) की वित्तीय हानि आहरण व संवितरण अधिकारी के कारण हुई है।

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 30-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं

की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में टी.डी.एस की कटौती किये बिना किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आयकर अधिनियमों के तहत उचित स्रोत से उक्त राशि की वसूली व्याज सहित करके तुरंत सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाये इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों में अपने स्तर पर गणना करके राशि को जमा करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाये, कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

8.3 कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निष्पादित राशि ₹20.60 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि प्रस्तुत न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की चयनित माहों की लेखा परीक्षा के दौरान निम्न विवरणानुसार राशि ₹2060000 के करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, व प्रपत्र-34 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्रम संख्या अनुदान/	**कार्य विवरण**	**स्वीकृत राशि**	**टिप्पणी**
1. SDP	कार्य: पुली दमरेरा लोहला नाला	500000	,MBEstimate, Work Order and Technical sanction order, UCC, orm13 C inF Format-34.etc
2. Relief	कार्य: रिपेयर पाथ मेन रोड से कुलेरा	60000	

3.VKVNY	कार्य: ब्राइडल पाथ कुलेरा से सोल्था	500000	
4.MGREGA	कार्य : इन्टरलॉक PVC टाइल्स मेन रोड से कुलेरा फेज-2	1000000	
	TOTAL	2060000	

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 30-09-2024 के प्रत्युत्तर में कहा कि, उक्त निर्माण कार्यों का निष्पादन कनिष्ठ अभियंता द्वारा करवाया गया है तथा इससे सम्बन्धित सभी अभिलेख विकास खंड कार्यालय में उनके पास पड़े है अंकेक्षण बारे उने सूचित कर दिया गया था परन्तु न तो उन्होने अभिलेख पंचायत को प्रेषित किये ओर न ही वे स्वयं उपस्थित हुए। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है चूँकि उक्त कर्मचारी द्वारा करवाये गए कार्यों के अभिलेखों का पंचायत में उपलब्ध न करवाना आपत्तिजनक है। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध न करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाये तथा मामले में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.1 15वें वित्तायोग से राशि ₹0.63 लाख का अनियमित व्यय करने बारे।

सचिव व निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या PCH-HC(10)1/2018-15th FC-75344-439 दिनांक 02 सितम्बर 2021 के अंतर्गत 15वें वित्तायोग के तहत अनटाईड ग्रांट के अंतर्गत निहित परिशिष्ट I व II में उक्त अनुदान के अंतर्गत स्वीकार्य सांकेतिक मदों/कार्यों की सूची में ही व्यय किया जाना अपेक्षित था।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अंकेक्षण दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा 15वें वित्तायोग से निम्न विवरणानुसार राशि ₹63000 का व्यय मोबाईल फ़ोन, LED टीवी, DISH इत्यादि के क्रय पर किया गया जोकि उक्त नियम/आदेश के तहत जारी स्वीकार्य सांकेतिक मदों/कार्यों की सूची में निहित न होने के कारण प्रतिकूल प्रतीत होता है।

क्र०स०	वाउचर/दिनांक	आपूर्तिकर्ता का विवरण	सामान का विवरण	राशि
1.	06/13-09-2023	मै० महाजन कम्युनिकेशन चुवाड़ी	मोबाईल फ़ोन	33000
2.	14/03-05-2022	मै० महाजन कम्युनिकेशन चुवाड़ी	LED TV & DISH	30000
			कुल योग	**₹63000**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 30-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, उक्त अनुदान से व्यय राशि की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाएगी। अत: उक्त मदों पर किये गये व्यय को नियमानुसार न्यायोचित ठहराते हुए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाये अन्यथा अनियमित व्यय की प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खाते में जमा करवा कर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.2 विहित औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹7.25 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त,बजट,लेखे,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 67(2) 67(3,क) 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जाना अपेक्षित है।

परन्तु पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न परिशिष्ट "3" के अनुसार राशि ₹724755/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय उप-समिति के अनुमोदन बिना केवल पंचायत प्रधान व सचिव द्वारा अपने स्तर पर किया गया। इस क्रय हेतु न तो तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया और ही कोई आपूर्ति आदेश इत्यादि पाये गये जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 30-09-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। उत्तर संतोषजक नहीं है अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.3 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹13.40 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित क्रय व भुगतान करने बारे।

ग्राम पंचायत तुरकड़ा के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न परिशिष्ट "6" के अनुसार राशि ₹1340263 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया गया परन्तु इन बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर केवल सादे कागज, केश मैमों एवं परफोर्मा बिल हैं। इसके अतिरिक्त उक्त वेंडरों की GST पंजीकरण प्रतिलिपि भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कि यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त विक्रेता GST धारक है या नहीं? जिससे कि, इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी इस प्रकार के बिलों की कुच्छ प्रतिलिपियाँ इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर संलग्न हैं।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 30-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अधिकतर सादे कागज, केश मैमों व परफोर्मा बिलों पर ही दावे किये गये जिनका भुगतान पंचायत द्वारा GST सहित किया गया परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया जा रहा है अथवा नहीं? उक्त मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण विभाग को शीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.4 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹13.40 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न परिशिष्ट "6") राशि ₹1340263/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 30-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, भविष्य में नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.5 पंचायत की माप पुस्तिकाओं के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-11 के नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत के तकनीकी स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि यह उक्त नियमानुसार कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं की गई थी जिससे की अभिलेख की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 30-09-2024 के प्रत्युत्तर में कहा गया कि भविष्य में उक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं हैं उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में

नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.6 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमिततायें एवं मनरेगा रोकड़बही को प्रस्तुत न करने बारे।

(क) ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹1645613.34 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन व कार्य में किसी प्रकार के अनाधिकृत समायोजन प्रविष्टि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

(ख) ग्राम पंचायत के मनरेगा अनुदान की रोकड़बही को लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया आय-व्यय विवरण को ऑनलाइन वित्तीय विवरण से तैयार किया गया है जोकि उचित नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 30-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, मनरेगा अनुदान के अभिलेखों को भविष्य में पूर्ण रूप से भरा जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9.7 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह

सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 30-09-2024 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: FTOs का पंचायत में न पाया जाना को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत तुरकड़ा के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा समस्त अनुदानों व स्व-स्त्रोतों की रोकड़बहियों का संधारण ऑनलाइन व मैन्युअल दोनों माध्यम से किया जा रहा है जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार रोकड़बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत द्वारा 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त केवल मैनुयल संधारित रोकड़बहियों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमे न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 1 व 2 में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित किया जा सका। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण

तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-07 दिनांक 30-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त अन्य रोकड़बहियों का संधारण मेनुअल आधार से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।

ग्राम पंचायत तुरकड़ा के चयनित माहों के अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट,बैंक बेलेंस सर्टिफिकेट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 30-09-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	---------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	बिल रजिस्टर	13	48	संधारित नहीं

11.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/सामग्री रजिस्टर	01 व 06	34	संधारित नहीं
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/ प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 30-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत तुरकड़ा की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 30-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

(कृष्ण लाल नेगी) 19.11.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

5535-5539 का0/छ0 19 NOV 2024

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 4/2016 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत तुरकड़ा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 19.11.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/छ0

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Turkada for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	524464.00	122835.00	647299.00	83466.00	563833.00
2023-24	563833.00	143138.00	706971.00	544025.00	162946.00

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1697096.30	7038443.00	8735539.30	7096325.00	1639214.30
2023-24	1639214.30	5236619.00	6875833.30	5574756.00	1301077.30
					1464023.30

नोट: प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत तुरकड़ा, विकास खंड भटियात में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत पांच रोकड़ बहियाँ का संधारण किया जा रहा है जिनमें से मनरेगा की रोकड़बही प्रस्तुत नहीं की गई तथा 15वें वित्तायोग की ऑनलाइन व अन्य की मेनुअल रोकड़बहियाँ प्रस्तुत की गई है।

1+2 (162946+1301077.30.30)	Closing Balance as per Cash Books	1464023.30
	Closing Balance as per Bank Passbook	1668729.30
	Difference (Less in Cash book)	-204706.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Turkada
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

ग्राम पंचायत तुरकड़ा वि.ख. भटियात, जिला चम्बा

हस्ताक्षर ....
दिनांक ....

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Turkada for the Year to 2022-2023 To 2023-2024

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	4788324.00	4788324.00	4788324.00	0.00
		2023-24	0.00	4364902.00	4364902.00	4364902.00	0.00
2	15TH FC	2022-23	1143159.30	1060880.00	2204039.30	1214119.00	989920.30
		2023-24	989920.30	138578.00	1128498.30	266060.00	862438.30
3	GENERAL	2022-23	486941.00	1187214.00	1674155.00	1093882.00	580273.00
		2023-24	580273.00	730688.00	1310961.00	943794.00	367167.00
4	BMC	2022-23	66996.00	2025.00	69021.00	0.00	69021.00
		2023-24	69021.00	2451.00	71472.00	0.00	71472.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Turkada
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

ग्राम पंचायत तुरकड़ा, वि.ख. भटियात, जिला चम्बा

हस्ताक्षर ....
दिनांक ....

23

Reffered in Para No. 9.2

Annexure "3" Store/ stock purchase Iregularties noticed in Codal Formalities in r/o GP Turkada

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY.	AMOUNT PAID	REMARKS
1	M/S Ranjeet Welding Works	SDP	04 & 05/	Welding			Qutations Were not approved by sub committee of GP & No Compritive Statement & No Supply Order was prepared.
	Tehsil Sihunta, Chamba		09-05-2022	Works		60000.00	
2	M/S Mahajan Construction Co.	SDP	02 & 03/	Angle, CGI			
	VPO Chuwari, Chamba		09-05-2022	Sheets etc.		84407.00	
3	M/S Ranjet Singh	SDP	05 & 06/	Carrige of Sand			
	PO Banet, Chamba		09-05-2022	Agg. & Cement		30690.00	
4	M/S Mahajan Constrution. Co VPO Chuwari,Chamba	VKVNY	08/ 18-12-2023	Hiring of JCB on hourly basis		78596.00	
5	M/S Mahajan Constrution. Co VPO Chuwari,Chamba	15th FC	23 &24/ 05-05-2022	P/F PVC work		225124.00	
6	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	09 & 11/	Sand	5.40	10538.00	
	VPO Chuwari, Chamba		02-05-2022	Aggre.	5.80	10237.00	
7	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	16,18 & 20/	Sand	10.53	20554.00	
	VPO Chuwari, Chamba		04-05-2022	Aggre.	4.69	8221.00	
8	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	22 & 25/	Aggre.	2.64	4675.00	
	VPO Chuwari, Chamba		05-05-2022	Sand	6.00	11700.00	
9	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Stone		22000	
	VPO Chuwari, Chamba		23-05-2022				
10	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Sand	10.80	20826	
			23-05-2022	Aggre.	12.00	21180	
11	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Sand	42.20	74433	
	VPO Chuwari, Chamba		23-05-2022	Aggre.	21.32	41574	
					TOTAL	724755.00	

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत तरकड़ा

Refferadin Para number 8.1

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP TURKADA Annexure "4"
TO WHOM PAID WITHOUT W,X, FORM W.E.F 04/2022 TO 03/2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID
1	M/S Mahajan Const. Co.	VKVNY	09 & 11/	Sand	2.83	4.53	5519
	VPO Chuwari, Chamba		03-06-2022	Stone	8.50	19.04	17000
				Aggre.	5.66	10.98	9990
2	M/S Mahajan Const. Co.	VKVNY	28/	Sand	10.16	16.26	19812
	VPO Chuwari, Chamba		07-01-2023	Aggre.	12.00	19.20	21180
3	M/S Mahajan Const. Co.	Relief	29/	Sand	6.14	9.82	11988
	VPO Chuwari, Chamba		07-01-2023	Aggre.	7.74	15.02	13673
4	M/S A.G. Enterprises	SDP	02/	Aggre.	8.49	16.47	13500
	VPO Chuwari, Chamba		12-04-2023	Sand	3.39	5.42	5760
5	M/S Atul Sharma	VKVNY	18 & 22	Sand	12.74	20.38	20250
	VPO Chuwari, Chamba		20-03-2024	Aggre.	7.08	13.74	11000
6	M/S Atul Sharma	14th FC	17 & 19/	Sand	16.99	27.18	27000
	VPO Chuwari, Chamba		20-03-2024	Aggre.	17.84	34.61	27720
7	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	33 & 34/	Aggre.	0.83	1.61	1425
	VPO Chuwari, Chamba		30-01-2024	Sand	1.20	1.92	2352
8	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	02,05 & 07/	Sand	11.71	18.74	22835
	VPO Chuwari, Chamba		26-04-2022	Aggre.	17.14	33.25	29851
9	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	09 & 11/	Sand	5.40	8.64	10538
	VPO Chuwari, Chamba		02-05-2022	Aggre.	5.80	11.25	10237
10	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	16,18 & 20/	Sand	10.53	16.85	20554
	VPO Chuwari, Chamba		04-05-2022	Aggre.	4.69	9.10	8221
11	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	22 & 25/	Aggre.	2.64	5.12	4675
	VPO Chuwari, Chamba		05-05-2022	Sand	6.00	9.60	11700
12	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Stone	11.00	24.64	22000
	VPO Chuwari, Chamba		23-05-2022				
13	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	NIL	Sand	3.00	4.80	5295
	VPO Chuwari, Chamba		23-05-2022	Stone	14.00	31.36	16900
14	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	NIL	Sand	19.81	31.70	38630
	VPO Chuwari, Chamba		23-05-2022	Aggre.	28.31	54.92	49967
15	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Sand	7.88	12.61	15366
	VPO Chuwari, Chamba		23-05-2022	Aggre.	6.60	12.80	11732
16	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Sand	7.61	12.18	14840
	VPO Chuwari, Chamba		23-05-2022	Aggre.	14.42	27.97	25451
17	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Sand	10.80	17.28	20826
	VPO Chuwari, Chamba		23-05-2022	Aggre.	12.00	23.28	21180
18	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Sand	42.20	67.52	74433
	VPO Chuwari, Chamba		23-05-2022	Aggre.	21.32	41.36	41574
						TOTAL	684974

प्रधान सचिव

ग्राम पंचायत तुरकड़ा
वि०ख० भटियात चम्बा हि०प्र०

25

Annexure "5" Refered in Para no 8.2

Statement Showing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o Gram Panchayat Turkada, Chamba H.P.

Sr. No.	Voucher No./ Date	Name of Fund	Detail of Suppliers	Service & Materail Detail	Amount	TDS @2 %	Applicable Act & Section
1	04 & 05 / 09-05-2022	SDP	M/S Ranjeet Welding Works , Sihunta, Chamba	Labour Work for Footbridge Installation	60000.00	1200.00	IT Act 1961 Section 194 C
2	06-08/ 09-05-2022	SDP	M/S Ranjeet Singh VPO Banet, Chamba	Carrige of Sand, Agg & Cement	30690.00	613.80	do
3	15 & 16/ 25-07-2022	ICDS	M/S J.K. Sharma Painter Lahdu, Chamba	Painting Work	47000.00	940.00	do
4	08/ 18-12-2023	VKVNY	M/S Mahajan Constr. Co, Chuwari	Hiring of JCB on hourly basis	78596.00	1571.92	IT Act 1961 Section 194 I
5	22/ 22-11-2022	VKVNY	M/S Mahajan Constr. Co, Chuwari	Hiring of JCB on hourly basis	70000.00	1400.00	IT Act 1961 Section 194 I
6	14-16/ 22-02-2024	VKVNY	M/S Amit Kumar, PO Banet Chamba	Carrige of Sand, Agg & Brick	38385.00	767.70	IT Act 1961 Section 194 C
7	23 & 24/ 05-05-2022	15th FC	M/S Mahajan Constr. Co, Chuwari	Providing & Fixing PVC with Labour	225124.00	4502.48	IT Act 1961 Section 194 C
				TOTAL	**549795.00**	**10995.90**	

प्रधान सचिव

ग्राम पचायत तुरकडा
वि०ख० भटियात चम्बा हि०प्र०

Reflected in Para No. 9.3

Annexure "6" Payment made without Proper/Tax Bill in R/o GP Turkada, Chamba

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY./Rate	AMOUNT PAID	Remarks
1	M/S Ranjeet Welding Works	SDP	04 & 05/	Welding	1500kg		Cash Memo
	Tehsil Sihunta, Chamba		09-05-2022	Works	x40	60000.00	Do
2	M/S Mahajan Construction Co.	SDP	02 & 03/	Angle, CGI			Performa Bill
	VPO Chuwari, Chamba		09-05-2022	Sheets etc.		84407.00	do
3	M/S Ranjet Singh	SDP	05 & 06/	Carrige of Sand			Plain paper
	PO Banet, Chamba		09-05-2022	Agg. & Cement		30690.00	do
4	M/S Mahajan Constrution. Co VPO Chuwari,Chamba	VKVNY	08/ 18-12-2023	Hiring of JCB on hourly basis	57x1400	78596.00	Performa Bill
5	M/S H.P. Civil Supply	15th FC	15,17,19,21	Cement	87 Bags		do
	Chuwari, Chamba		04-05-2022		385.00	33495.00	do
6	M/S H.P. Civil Supply	15th FC	26 -29	Cement	47 Bags x 385	18095.00	do
	Chuwari, Chamba		12-05-2022				do
7	M/S Mahajan Constrution. Co VPO Chuwari,Chamba	15th FC	23 &24/05-05-2022	P/F PVC work		225124.00	do
9	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	09 & 11/	Sand	5.40	10538.00	do
	VPO Chuwari, Chamba		02-05-2022	Aggre.	5.80	10237.00	do
10	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	16,18 & 20/	Sand	10.53	20554.00	do
	VPO Chuwari, Chamba		04-05-2022	Aggre.	4.69	8221.00	do
11	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	22 & 25/	Aggre.	2.64	4675.00	do
	VPO Chuwari, Chamba		05-05-2022	Sand	6.00	11700.00	do
12	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Stone	11.00	22000.00	do
	VPO Chuwari, Chamba		23-05-2022				do
13	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	NIL	Sand	3.00	5295	do
	VPO Chuwari, Chamba		23-05-2022	Stone	14.00	16900	do
14	M/S Tanishka Tile Industry	MGREGA	NIL	Interlock Tiles			do
	Nurpur, Kangra		23-05-2022	40mm	8990.00	170810.00	do
15	M/S H.P. Civil Supply	MGREGA	NIL	Cement	103 Bags		do
	Chuwari, Chamba		23-05-2022		370.00	38110.00	do
16	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Sand, Bricks			do
	VPO Chuwari, Chamba		23-05-2022	Aggre. Steel		100158.00	do
17	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Sand	7.61	14840	do
	VPO Chuwari, Chamba		23-05-2022	Aggre.	14.42	25451	do
18	M/S Tanishka Tile Industry	MGREGA	Nil	Interlock Tiles	11160 no.		do
	Nurpur, Kangra		23-05-2022	60mm@21		234360.00	do
19	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Sand	42.20	74433	do
	VPO Chuwari, Chamba		23-05-2022	Aggre.	21.32	41574	do
					TOTAL	1340263.00	

प्रधान सचिव

ग्राम पंचायत तुरकडा
वि०ख० भटियात चम्बा हि०प्र०

Annexure "7" Reffered in Para No. 7.1.8.7.2

कार्यालय ग्राम पंचायत तुरकड़ा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि०प्र०)

1. सम्पत्ति कर (गृहकर)

वित्तीय-वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल वसूल राशी	बकाया राशी
2022-23	32350	407	50	20350	52700	29935	22765
2023-24	22765	425	50	21250	44015	1170	42845

2. (क) विवाह पंजीकरण फीस 31-03-2024 वसूली गई परन्तु सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL Rate		राशि	BPL Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without LateFee	With LateFee		Without Late Fee	With LateFee		
2022-2023	10	07@200	01@400	1800	03@25	-	75	1875
2023-2024	14	09@200	-	1800	05@25	01@50	175	1975
कुल योग	**24**	**16@200**	**01@400**	**3600**	**08@25**	**01@50**	**250**	**3850**

नोट : पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली गई है परन्तु इसे पंचायत के निधि खाते में ही रखा गया है जबकि नियमानुसार इसे सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था।

2.(ख) विवाह पंजीकरण उपरान्त अपेक्षित शुल्क की वसूली न करने की कारण हुई वित्तीय हानि ।

क्र०	नाम	विवाह की तिथि	विवाह पंजीकरण	अपेक्षित शुल्क	वसूला गया शुल्क	कम वसूली
1.	श्री बलजीत सिंह	18-05-2022	07-06-2022	200	0	200
2.	श्री कुशल कुमार	12-05-2023	07-06-2023	200	0	200
			कुल योग	**400**	**0**	**400**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Turkada
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

ग्राम पंचायत तुरकड़ा वि.ख. भटियात, जिला चम्बा

हस्ताक्षर ....
दिनांक ....